राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना

B.A. II Year (H) Paper III

विषय - निर्वाचन आयोग (Election Commision)

संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग में ~~आयोग~~ अध्यक्ष के अतिरिक्त दो अन्य सदस्य होते हैं। इन तीनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, तक होती है। निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के अन्य जजों की भाँति वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। परन्तु इन आयुक्तों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं।

Scanned with CamScanner

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अक्षमता एवं कदाचार के आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है, इनको पदमुक्त करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीमकोर्ट के ~~अन्य~~ न्यायधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, तथा अन्य दोनों आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से पदमुक्त कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के कार्य

1⇒ राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।

2⇒ चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना।

3⇒ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना।

4⇒ मतदाता सूची को तैयार करना।

5⇒ राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना।

6⇒ चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि को निश्चित करना।

Scanned with CamScanner

7 → चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना।

8 → मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग के पास सिविल कोर्ट जैसे अधिकार होते है यह भारत के किसी भी नागरिक को सम्मन दे सकता है. तथा किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी की माँग कर सकता है

Scanned with CamScanner